कार्यालय अधिष्ठाता श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म0प्र0)

क्रमांक 14615 स्वशासी / स्था / एमसी / 2019 रीवा दिनांक 29.7.19

भर्ती सूचना

स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के अन्तर्गत सुपरस्पेशलिटी अस्पताल हेतु स्टाफ नर्स के निम्नलिखित रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निर्धारित शर्तों के अधीन एम.पी ऑनलाईन के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :–

आवेदन की अंतिम तिथि :–07.09.2019

क्र	पदनाम	कुल रिक्त पद	वेतनमान	रोस्टर अनुसार वर्गीकरण				न्यूनतम अर्हता
				अनारक्षित	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	ओ.बी.सी.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	स्टाफनर्स	135	छटवें वेतनमान में वेतन 5200–20200 +2800 लेवल–7 न्यूनतम 28700/–	67 (10 प्रतिशत पद ई. डब्ल्यू.एस के अन्तर्गत आरक्षित होंगे)	28	24	16	1.अभ्यर्थी ने बायोलॉजी, केमिस्ट्री तथा फिजिक्स विषयों में 10+2 प्रणाली में 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो। 2.बी.एस.सी. नर्सिंग अथवा जनरल नर्सिंग एवं ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान प्रशिक्षित। 3.म0प्र0नर्सिंग काउन्सिल में पंजीकृत परिचारिका।

उक्त पदों हेतु एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से दिनांक 07.09.2019 तक प्राप्त आवेदन ही मान्य होंगे।

नोटः–

1. यह नियुक्ति मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय सेवा आदर्श नियम 2018 के अधीन होगी।
2. नियम एवं शर्तों की विस्तृत जानकारी के साथ–साथ आवेदन पत्र का प्रारुप श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय की वेबसाइट **www.ssmcrewa.com** में उपलब्ध रहेगी।
3. पदों की संख्या में वृद्धि या कमी हो सकती है।
4. पदों पर आरक्षण राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार रहेगा, आरक्षण का लाभ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा।

Dwivedi

अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा

Advertiesment

1. **आवेदन शुल्क**:– सामान्य वर्ग के लिये रुपये 700/– तथा आरक्षित वर्ग (अ.ज.जा, अ.जा. अ.पि.वर्ग) के लिये रुपये 350/– निर्धारित शुल्क एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से जमा की जावेगी।
2. **यात्रा भत्ता** :–दस्तावेज सत्यापन के लिये किसी भी अभ्यार्थी को यात्रा भत्ता इस संस्था द्वारा नहीं दिया जावेगा उन्हें स्वंय के व्यय पर यात्रा करना होगा ।

अन्य शर्ते :–

1. आवेदक की आयु दिनांक 01.07.2019 को 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिये।
   म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र कमांक सी 3–8/2016/1/3 दिनांक 04 जुलाई 2019 के अनुसार निम्न संवर्गों के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थी की अधिकतम आयु सीमा निम्नानुसार होगी :–
   - सामान्य वर्ग के लिए – **40 वर्ष**
   - अनुसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय/निगम/मण्डल /स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक /निःशक्तजन /महिलाओं (अनारक्षित/ आरक्षित) आदि के लिये – **45 वर्ष**
2. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को तत्संबंध का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है ।
3. जिला श्योपुर मुरैना दतिया ग्वालियर भिण्ड शिवपुरी गुना तथा अशोकनगर में सहारिया आदिम जनजाति, जिला मण्डला डिंडौरी शहडोल उमरिया बालाघाट तथा अनूपपुर में बैगा आदिम जनजाति एवं जिला छिंदवाड़ा के तामिया विकासखण्ड में भारिया जनजाति के न्यूनतम अर्हताधारी आवेदकों को भरती से संबंधित प्रकिया का अनुसरण किये बिना नियुक्ति प्रदान की जावेंगी।
4. म0प्र0 का मूल निवासी को प्राथमिकता दी जावेगी ।
5. उम्मीदवार को शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
6. शासकीय नर्सिंग स्कूल/महाविद्यालय से उत्तीर्ण बी.एस.सी/जी.एन.एम. नर्सिंग को प्राथमिकता दी जावेगी।
7. 300 बिस्तर के शासकीय/स्वशासी चिकित्सालय में कार्य अनुभव को प्राथमिकता।
8. आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग (E.W.S) को 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
   (अ) ऐसे परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये आठ लाख से अधिक न हो। आय में सभी स्त्रोंतो की आय शामिल होगी जो वेतन, कृषि,व्यवसाय आदि से हो।
   (ब) आय एवं संपत्ति का प्रमाण पत्र तहसीलदार से अनिम्न श्रेणी के अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।
9. सेवा की अन्य शर्ते नियुक्ति पत्र में दर्शाये अनुसार बंधनकारी होगी ।
10. यदि कोई आवेदक किसी शासकीय/ अर्द्धशासकीय संस्था में पूर्व से कार्यरत है तो उसे आवेदन के समय ही नियोक्ता का अनापत्ति/त्यागपत्र स्वीकृत प्रमाण पत्र एवं अन्य अभ्यर्थियों को रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. नियुक्ति उपरांत 1 वर्ष तक अन्यत्र सेवा हेतु आवेदन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देना संभव नही होगा।
12. निर्धारित न्यूनतम आयु के पूर्व विवाह करने वाले उम्मीदवार को नियुक्ति के लिए पात्रता नहीं होगी दिनांक 26.1.2001 के बाद जिस आवेदक को दो से अधिक संतान जन्म लिया है उसे नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी ।

निरंतर–3

13. अपूर्ण आवेदन का संपूर्ण दायित्व आवेदक का होगा तथा आवेदन स्वीकार न होने की स्थिति में तदविषयक पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
14. चयनित प्रत्याशी की नियुक्ति पुलिस वैरीफिकेशन में उपयुक्त पाये जाने की प्रत्याशा में की जाती है, यदि भविष्य में पुलिस वैरीफिकेशन/चरित्र सत्यापन के पश्चात् प्रतिकूल तथ्य प्राप्त होने पर सेवाएं समाप्त की जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी।
15. नियुक्ति इस संस्था के सेवाशर्तों के अधीन होगी, संस्था अपनी सेवा शर्तों में आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकेगी।
16. स्कूटनी परिणाम एवं चयन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी संस्था की वेबसाईट पर अपलोड की जायेगी। अद्यतन जानकारी के लिये वेबसाईट का निरंतर अवलोकन करें।
17. भर्ती नियमों के अनुसार आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म0प्र0)

पृ0क्र0...स्था/अराज/एम0सी0/2019 रीवा दिनांक..........................

प्रतिलिपिः– 1. प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल ।

2. संचालक चिकित्सा शिक्षा म0प्र0 भोपाल ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म0प्र0)

Advertiesment